निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प देवरी जोध
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

प्रकरण संख्या :– 229/2017 दावा
दायरा दिनांक :– 22.09.2017
निर्णय दिनांक :– 28.6.18

उनवान

1. मांगीलाल पुत्र बद्रीलाल (नाबालिग)
2. रीना पुत्री बद्रीलाल (नाबालिग) की वली माता कजोडीबाई पत्नी बद्रीलाल जाति लोधा निवासी पाडलिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
3. कजोडीबाई पत्नी बद्रीलाल जाति लोधा निवासी पाडलिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र कजोड जाति लोधा निवासी पाडलिया तहसील छीपाबड़ौद
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार तहसील छीपाबड़ौद
3. सब रजिस्ट्रार छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
4. खेमराज पुत्र कजोड जाति लोधा निवासी पाडलिया
5. भारतसिंह पुत्र कजोड जाति लोधा निवासी पाडलिया
6. ल्लता पुत्री कजोड जाति लोधा निवासी पाडलिया
7. सीमला पुत्री कजोड जाति लोधा निवासी पाडलिया
8. शान्तिबाई पत्नी कजोड जाति लोधा निवासी पाडलिया
9. रामनारायण पुत्र कंवरलाल जाति लोधा निवासी पाडलिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 28.6.18

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 23 रकबा 6 बीघा, खसरा नंबर 24 रकबा 9 बीघा, खसरा नंबर 25 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 78 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 79 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 80 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 81 रकबा 04 बिस्वा किता 7 कुल रकबा 26 बीघा 07 बिस्वा मौजा पाडलिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान मे वाके है, जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 13 सम्वत् 2069 ता 72 से प्रतिवादी संख्या–1 व तरतीबा प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी मे दर्ज जमाबदी है, जिसमें मुताबिक जमाबंदी प्रतिवादी संख्याा 1 का 1/12 हिस्सा दर्ज जमाबदी है। प्रतिवादी संख्या 1 को वादपत्र के मद नम्बर 1 मे वर्णित आराजीयात अपने पिता से बतौर विरासत प्राप्त हुई है, इसलिए वाद पत्र की मद नम्बर 2 मे वर्णित आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात है, तथा वादी संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र पुत्री तथा वादनी संख्या 3 पत्नी होने से पैत्रक आराजीयात मे उनको हक व अधिकार हासिल हो गये है।

प्रतिवादी संख्या 1 स्मैक पीने व शराब पीने का आदि रहा है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपनी इन्ही आदतो के वशीभूत होकर वादपत्र की मद नम्बर 2 मे वर्णित पैत्रक आराजीयात से वादीगण को उनके

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

... का सरक्षता म निवास करत ह तथा

Scanned by CamScanner

हक व अधिकारो से महरूम करना चाहता है, तथा वादपत्र के मद नम्बर 2 मे वर्णित आराजीयात मे अपना नाम दर्ज होने से बेचान करने के लिये आमादा हो रहा है, जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई कानूनी हक व अधिकार नही है। वादीगण ने प्रतिवादी सख्या 1 को काफी समझाया लेकिन वह नही मान रहा है, तथा वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से विनती भी कि वादपत्र के मद नम्बर 2 मे वर्णित आराजीयात के अलावा वादीगण के पास आय प्राप्त करने का कोई स्त्रोत नही है, यदि प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त विवादित आराजीयात को बेचान कर दिया तो वादीगण के समक्ष जीविकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हो जावेगी, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 अपने स्मैक की लत के वशीभूत वादपत्र के मद नम्बर 2 मे वर्णित आराजीयात को अन्तरण करने के लिये आमादा है। वादपत्र के मद नम्बर 2 मे वर्णित आराजीयात मे प्रतिवादी संख्या 1 को उसके हिस्से की आराजीयात बतौर विरासत प्राप्त हुई है, इसलिए वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से 1/12 मे से 3/4 हिस्से की आराजी अर्थात सम्पूर्ण आराजी मे से 1/16 हिस्से की आराजी का खातेदार कृषक घोषित करवाने के कानूनी अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से वादपत्र के मद नम्बर 2 मे वर्णित आराजीयात मे से वादीगण के हक व हिस्से की आराजीयात वादीगण के खातेदारी मे दर्ज करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 इन्कार हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को धमकी दी है, कि वह विवादित आराजीयात को बेचान करेगा तथा वादीगण को उक्त आराजीयात से बेदखल करेगा। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित आराजीयात से वादीगण को बेदखल या अन्तरण कर दिया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी तथा वादीगण को वापस उक्त आराजीयात पर कब्जा प्राप्त करने मे कई मुकदमेबाजी मे उलझकर समय व धन की अपरिमित क्षति उठानी पडेगी तथा कभी ना खत्म होने वाले मुकदमेबाजी का सिलसिला चल जावेगा। वाद कारण दिनांक 18.09.2017 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से विवादित आराजीयात मे से वादीगण को प्राप्त हक व अधिकारो की आराजी वादीगण के खातेदारी मे दर्ज करवाने की कहने पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इन्कार करने पर तथा वादीगण को बेदखल कर उक्त आराजीयात को अन्तरण करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबंदी ग्राम पाडलिया तहसील छीपाबडौद सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 13 पेश की गई। नकल जमाबंदी ग्राम पाडलिया सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 12 पेश की गई।

प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प देवरीजोध पर रखा गया। पक्षकारान् को लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प देवरीजोध पर उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प देवरीजोध पर उपस्थित हुये। पक्षकारान् को समझाया गया। पक्षकारान् द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे मे बताया कि हम वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य राजीनामा हो गया है, जिसके तहत् वाद पत्र की मद नम्बर 2 मे वर्णित आराजीयात पर बद्रीलाल का नाम खाते से खारिज फरमाया जाकर वादीगण का खाते मे नाम दर्ज कर दिया जावे, मुझे कोई आपत्ति नही है। पक्षकारान् को सुना गया। प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम पाडलिया के खाता संख्या 13 सम्वत् 2069–72 के अनुसार खेमराज, बद्रीलाल, भरतसिंह पुत्र ललता, सीमला पुत्रिया, शान्तिबाई बेवा कजोड हिस्सा 1/2 दर्ज होना पाया जाता है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी ग्राम पाडलिया खाता संख्या 12 सम्वत्

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

2069–72 के अनुसार खेमराज, बद्रीलाल, भरतसिंह पुत्र ललता, सीमला पुत्रिया, शान्तिबाई बेवा कजोड हिस्सा 5/78 दर्ज होना पाया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया, जिस पर प्रतिवादी क्रम 1 को कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है। वादी एवं प्रतिवादीगण की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत देवरीजोध द्वारा की गई। वादी क्रम 1 व 2 को 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जा सकता है तथा प्रतिवादी का 1/3 हिस्सा रहेगा। मुताबिक राजीनामा वादी गण को सम्पूर्ण भूमि पर खातेदार कृषक घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः का वाद मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प देवरीजोध पर मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम पाडलिया के खसरा नंबर 23 रकबा 6 बीघा, खसरा नंबर 24 रकबा 9 बीघा, खसरा नंबर 25 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 78 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 79 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 80 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 81 रकबा 04 बिस्वा किता 7 कुल रकबा 26 बीघा 07 बिस्वा मे वादी कम 1 व 2 को 2/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 229/2017	धारा अन्तर्गत 88,188 RTA	निर्णय दिनांक : 28.06.2018
समक्ष : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादीः– श्री		अभिभाषक प्रतिवादीः–

वाद शीर्षक

उनवान

1. मांगीलाल पुत्र बद्रीलाल (नाबालिग)
2. रीना पुत्री बद्रीलाल (नाबालिग) की वली माता कजोडीबाई पत्नी बद्रीलाल जाति लोधा निवासी पाडलिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
3. कजोडीबाई पत्नी बद्रीलाल जाति लोधा निवासी पाडलिया तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र कजोड जाति लोधा निवासी पाडलिया तहसील छीपाबडौद
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार तहसील छीपाबड़ौद
3. सब रजिस्ट्रार छीपाबड़ौद तहसील छीपाबडौद जिला बारां
4. खेमराज पुत्र कजोड जाति लोधा निवासी पाडलिया
5. भारतसिंह पुत्र कजोड जाति लोधा निवासी पाडलिया
6. ल्लता पुत्री कजोड जाति लोधा निवासी पाडलिया
7. सीमला पुत्री कजोड जाति लोधा निवासी पाडलिया
8. शान्तिबाई पत्नी कजोड जाति लोधा निवासी पाडलिया
9. रामनारायण पुत्र कंवरलाल जाति लोधा निवासी पाडलिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प देवरीजोध पर मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम पाडलिया के खसरा नंबर 23 रकबा 6 बीघा, खसरा नंबर 24 रकबा 9 बीघा, खसरा नंबर 25 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 78 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 79 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 80 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 81 रकबा 04 बिस्वा किता 7 कुल रकबा 26 बीघा 07 बिस्वा मे वादी कम 1 व 2 को 2/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक **28.06.2018** को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद

उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

व्ययानुतोष	
वादी	प्रतिवादी

Scanned by CamScanner